

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी. / 2020 / 310

दिनांक : 19/3/2020

समस्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- COVID-19 संदिग्ध यात्रियों से होम आईसोलेशन हेतु अण्डरटेकिंग लेने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय का पूर्व पत्र क्रमांक 280 दिनांक 14.03.2020

कृपया संदर्भित पत्र का पुनः अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "वर्तमान में COVID-19 संबंध में एयर पोर्ट स्क्रीनिंग पश्चात् यात्रियों की घर पर 14 दिन होम आईसोलेशन किये जाने के निर्देशों की अनुपालना में मेडिकल टीमों द्वारा प्रतिदिन स्क्रीनिंग दौरान यह सुनिश्चित किया जाना है। उक्त के साथ ही इन यात्रियों से निम्नानुसार अण्डरटेकिंग की जानी है कि वे निर्देशानुसार 14 दिन तक होम आईसोलेशन में रहेंगे एवं नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।" परन्तु आप द्वारा उक्त की पालना नहीं की जा रही है।

अतः संदर्भित पत्र पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी अनुशंषा उच्चाधिकारियों को की जायेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :आई.डी.एस.पी. / 2020 / 310

दिनांक : 19/3/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (आर.सी.एच.), मुख्यालय।
4. अति० निदेशक (अस्पताल प्रशासन) / (ग्रा० स्वा०), मुख्यालय।
5. राज्य नोडल अधिकारी (आई.डी.एस.पी.), मुख्यालय।
6. राज्य नोडल अधिकारी (आदर्श पीएचसी योजना) एवं नोडल अधिकारी (एक्टिव सर्विलेंस) COVID-19, मुख्यालय।
7. राज्य नोडल अधिकारी (एनसीडी) एवं नोडल अधिकारी (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) COVID-19, मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वरूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश संबंधित को ई-मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर